7/3/24 अनुभाग कोरीकलां उप०/P.O.
साहब ...
स्थायी तिथि 9/5/24
को पेश हो।

9/5/24 अनुभाग कोरीकलां उप०/P.O.
साहब ...
स्थायी तिथि 27/6/24
को पेश हो।

24/6/24 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को बाद पत्र दिनांक की सूचना के उप० नहीं आये उनके विरुद्ध उपस्थित कार्यवाही अमल में लाई जाती है पश्चात वाद की तिथि 25/7/24 को पेश हो

25/7/24 अनुभाग कोरीकलां उप०/P.O.
साहब ...
स्थायी तिथि 6/9/24
को पेश हो।

6/9/24 पश्चात पुकार प्रार्थी वकील प्रार्थी को बारम्बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का वाद राजस्व अपील अधिनियम 1955 आदेश 9 नियम 8 के तहत पेशी के खारिज किया जाता है। पश्चात फैसल मुकद्दमा शेष कार्य वाद के बाद मूल वाद के साथ संलग्न रहे सुरक्षित हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०